झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

ज्ञानदीप परिसर, बरगावाँ, नामकुम, राँची–834010

राज्य के नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञप्ति संख्या - 93/2011

मानव संसाधन विकास विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) के पत्रांक 1715 दिनांक 5.7.2011, अधिसूचना संख्या 3169 दिनांक 05.11.2004, अधिसूचना संख्या 1625 दिनांक 14.06.2008, संकल्प संख्या 1470 दिनांक 29.05.2011, अधिसूचना संख्या 1469 दिनांक 29.05.2011 एवं अधिसूचना संख्या – 2598 दिनांक 30.9.2011 के आलोक में राज्य के **नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु** विषयवार एवं कोटिवार अधियाचित निम्नांकित पदों के विरूद्ध विहित प्रपत्र में निम्नांकित योग्यता एवं अहर्त्ताधारक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 25.11.2011 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

(क) विषयवार एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का विवरण

क्रम संख्या	विषय	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग
01	हिन्दी	250	125	25	65	20	15
02	अंग्रेजी	250	125	25	65	20	15
03	संस्कृत	166	83	17	43	13	10
04	उर्दू	134	67	13	35	11	8
05	विज्ञान गणित	250	125	25	65	20	15
06	जीव विज्ञान	250	125	25	65	20	15
07	भूगोल	250	125	25	65	20	15
08	अर्थशास्त्र	250	125	25	65	20	15
09	इतिहास	176	88	18	46	14	10
10	नागरिक शास्त्र	74	37	8	19	6	4
11	फारसी	27	14	3	7	2	1
12	अरबी	25	13	3	6	2	1
13	संथाली	19	10	2	5	1	1
14	उड़िया	12	6	1	3	1	1
15	मुण्डारी	22	11	2	6	2	1
16	हो	22	11	2	6	2	1
17	उराँव	22	11	2	6	2	1
18	खड़िया	19	10	2	5	1	1
19	खोरठा	16	8	2	4	1	1
20	नागपुरी	16	8	2	4	1	1
21	कुरमाली	19	10	2	5	1	1
22	पंचपरगनिया	16	8	2	4	1	1
23	बंगला	26	13	3	7	2	1
24	गृह विज्ञान	76	38	8	20	6	4
25	वाणिज्य	76	38	8	20	6	4
26	संगीत	50	25	5	13	4	3

(ख) वांछित अहर्त्ता एवं योग्यता–

उपर्युक्त क्रमांक 3 (संस्कृत), 4 (उर्दू), 11 (फारसी), 12 (अरबी) एवं 26 (संगीत) में उद्धृत रिक्तियों को छोड़कर शेष रिक्तियों के लिये निर्धारित योग्यता एवं अहर्त्ता –

(i)राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी से सम्बन्धित विषय के साथ न्यूनतम 45% अंकों से स्नातक की डिग्री प्राप्त हो। किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में न्यूनतम प्राप्तांक 40% लागू होगा। **एवं**

(ii)राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड० की डिग्री अथवा NCTE के अस्तित्व में आने की तिथि 17 अगस्त, 1995 से पूर्व के मामले में सम्बन्धित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बी०एड० अथवा समकक्ष योग्यताधारी हो। वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हों तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले हों, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होनेवाली परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने की अनुमति तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमती होगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थी का प्रशिक्षण परीक्षाफल परिषद द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति में प्रतियोगिता परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व परिषद द्वारा निर्धारित समय–सीमा तक समर्पित करना होगा। तत्पश्चात् ही परिषद द्वारा उनकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(ग)उपर्युक्त क्रमांक 3 (संस्कृत), 4 (उर्दू), 11 (फारसी) एवं 12 (अरबी) विषय की रिक्तियों के लिये निर्धारित योग्यता एवं अहर्त्ता –

(i)राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आचार्य(साहित्य अथवा व्याकरण) अथवा फाज़िल (अरबी या उर्दू अथवा फारसी) की डिग्री **अथवा**

राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला में द्वितीय श्रेणी में संस्कृत या अरबी या उर्दू अथवा फारसी के साथ न्यूनतम 45% अंकों से स्नातक डिग्रीधारी हो, किन्तु अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम प्राप्तांक 40% लागू होगा। **एवं**

(ii)राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड० की डिग्री। परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हों, तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने की अनुमति तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थी का प्रशिक्षण परीक्षाफल परिषद द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की प्रतियोगिता परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व परिषद द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् परिषद द्वारा उनकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(घ)उपर्युक्त क्रमांक 26 (संगीत) के लिये निर्धारित योग्यता एवं अहर्त्ता–

(i)राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से प्रवेशिका (मैट्रिक) परीक्षोत्तीर्ण। **एवं**

(ii)राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता।

(ड.)सभी विषयों की रिक्तियों के लिये निर्धारित आयु–सीमा – 01.01.2011 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार आयु निम्न रूपेण होगी –

			विकलांग हेतु
1.	सामान्य कोटि	40 वर्ष	45 वर्ष
2.	महिला(अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	43 वर्ष	48 वर्ष
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग	42 वर्ष	47 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति (पुरूष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष
5.	अनुसूचित जनजाति (पुरूष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

(च) उपर्युक्त रिक्त पदों के विरूद्ध शिक्षकों की सीधी नियुक्ति परिषद द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गयी मेधा सूची से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा की जायेगी।

मेधा सूची तैयार करने हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन निम्नवत् होगा –

प्रश्न पत्र – I सामान्य ज्ञान, हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा की परीक्षा–100 अंक (अर्हक प्रश्न पत्र)

प्रश्न पत्र – II सम्बन्धित विषय की परीक्षा – 300 अंक

''प्रश्न पत्र – I अर्हक (qualifying) प्रश्न पत्र होगा अर्थात् इसमें मात्र न्यूनतम उत्तीर्णांक तैंतीस अंक (33) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु मेधा सूची के निर्माण हेतु इस प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे।

प्रश्न पत्र–II में संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति की जानी है, के स्नातक स्तरीय विषयनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे तथा विषयवार मेधा सूची इस प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर बनायी जायेगी। ऐसी अभ्यर्थी जो प्रश्न पत्र –I में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं कर सकेंगे उनके प्रश्न पत्र–II के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र– II का न्यूनतम उत्तीर्णांक (कट ऑफ मार्क्स) 50 प्रतिशत होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उत्तीर्णता के लिए निर्धारित कट ऑफ मार्क्स में (पांच) 5 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी।''

(छ) परीक्षा शुल्क– अभ्यर्थियों को 750/–रुपये परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो, के माध्यम से देना होगा, परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये यह राशि 375/–रुपये की होगी। सभी अभ्यर्थी ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे। विकलांग अभ्यर्थी को अनुमान्य 3% क्षैत्तिज आरक्षण का लाभ सरकारी नियमानुसार दिया जायेगा।

(ज) सामान्य निर्देश :–

(i) कोई भी अभ्यर्थी किसी एक ही विषय की रिक्ति के विरूद्ध आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी जिस विषय के विरूद्ध आवेदन करेंगे, वही उनका अंतिम विकल्प होगा तथा उससे हटकर कोई दूसरे विषय की रिक्ति के विरूद्ध दावा नहीं कर सकेंगे। भले ही दूसरे विषय में चयनित अभ्यर्थी उनसे कम अंक प्राप्त किये हों।

(ii) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में **A-4 Size** पेपर से निम्न पता पर भेजा जायेगा –

सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
ज्ञानदीप परिसर, बरगावां, नामकुम, राँची–834010

(iii)आवेदन करने के क्रम में अभ्यर्थी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन निर्धारित तिथि तक परिषद कार्यालय को अवश्य प्राप्त हो जाय। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन प्राप्त होने पर उसे अमान्य कर दिया जायेगा। **स्पीड पोस्ट के अलावे अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।** सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं Demand Draft की छायाप्रति अपने पास रखेंगे।

(iv)आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो **Jharkhand Academic Council Fund** को देय एवं राँची में भुगतेय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायगी।

(v) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र आदि स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जायेंगे, **उस लिफाफे के उपर लाल स्याही से विज्ञप्ति संख्या के साथ–साथ जिस विषय के शिक्षक के लिये नियुक्ति चाहते हैं, उस विषय का अंकन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिये जायेंगे।**

(vi)अपूर्ण, गलत कोड भरने और गलत सूचना देने एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र को अमान्य कर दिया जायेगा और शुल्क की राशि जप्त कर ली जायेगी।

(vii)आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा–

(1) शैक्षिक प्रमाण पत्र(मैट्रिक का प्रमाण पत्र तथा स्नातक की डिग्री एवं अंक पत्रक)
(2) प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र– (क) बी०एड० की डिग्री अथवा(ख)शिक्षक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अथवा (ग) प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित (Appear) होने संबंधी प्रमाण पत्र
(3) झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत विकलांग प्रमाण पत्र (जहाँ प्रयोज्य हो)
(4) उम्र संबंधी प्रमाण पत्र
(5) झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षण हेतु दावे करनेवाले उम्मीदवारों के लिये)

(viii)अभ्यर्थी जिस विषय की रिक्ति के विरूद्ध आवेदन करेंगे वे आवेदन में उस विषय का कोड भरेंगे–

क्रम सं.	विषय	कोड संख्या	क्रम सं.	विषय	कोड संख्या
1	हिन्दी	**01**	14	उड़िया	**14**
2	अंग्रेजी	**02**	15	मुण्डारी	**15**
3	संस्कृत	**03**	16	हो	**16**
4	उर्दू	**04**	17	उराँव	**17**
5	विज्ञान गणित	**05**	18	खड़िया	**18**
6	जीव विज्ञान	**06**	19	खोरठा	**19**
7	भूगोल	**07**	20	नागपुरी	**20**
8	अर्थशास्त्र	**08**	21	कुरमाली	**21**
9	इतिहास	**09**	22	पंचपरगनिया	**22**
10	नागरिक शास्त्र	**10**	23	बंगला	**23**
11	फारसी	**11**	24	गृह विज्ञान	**24**
12	अरबी	**12**	25	वाणिज्य	**25**
13	संथाली	**13**	26	संगीत	**26**

(ix)आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि का कोड भरेंगे। आरक्षण कोटि का कोड निम्नवत् विहित है –

क्रम सं.	कोटि	कोड
1	सामान्य	**31**
2	अनुसूचित जाति	**32**
3	अनुसूचित जनजाति	**33**
4	पिछड़ा वर्ग	**34**
5	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	**35**

(x)अभ्यर्थी जिस प्रमण्डल में परीक्षा देना चाहते हैं, उस प्रमण्डल के लिये विहित निम्नांकित परीक्षा केन्द्र का कोड आवेदन पत्र में भरेंगे –

क्रम सं.	परीक्षा केन्द्र	कोड संख्या
1	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची	**41**
2	उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग	**42**
3	कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा	**43**
4	पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर	**44**
5	संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका	**45**

(xi) आवेदक विज्ञप्ति को पूरी सावधानी से पढ़कर ही आवेदन पत्र भरेंगे। प्रस्तुत विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र (Format) परिषद् के बेवसाइट www.jac.nic.in पर उपलब्ध है। सभी आवेदक परिषद् के उक्त बेवसाइट से आवेदन पत्र का प्रपत्र डाउन लोड कर A4 Size पेपर में उसका प्रिंट प्राप्त कर उसी में ही भरेंगे।

नोट:विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है। फिर भी झारखण्ड अधिविद्य परिषद् भूल सुधार या टाईपिंग भूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/UMS/TR/10165/11/SECY/498/11
Dt. 11.10.2011
D.O.P. 12.10.2011

Size: 16x37